02/2023

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्व जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उपस्थित नहीं होने के कारण उत्तरदाता (वकील) 1 से 7 को विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.2.2023 को पेश हो।	

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

21.02.2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ बालोतरा द्वारा न्यायिक कार्य में उपस्थिति नहीं दी गई है। पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 20.04.2023 को पेश हो।

20.4.2023 पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु./पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 08.5.2023 को पेश है।

08/5/2023 पक्षकारान अधि[illegible] उप./अनु. पीठासीन अधि[illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19.6.2023 को पेश हो।

19/6/23 पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 07/7/2023 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

07/7/2023 वकील अपीलार्थी उपस्थित [illegible] उत्तरदाता एकतरफा। वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई और बहस [illegible]

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:37:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	में निवेदन किया कि मुतवफी मगनाराम के तीन लड़के भोलाराम, नारणाराम व मोहनाराम थे। अपीलांट नारणाराम की एकमात्र वारिस है। मुतवफी मगनाराम की पुश्तैनी कृषि भूमि कुड़ीवाड़ा की खसरा नम्बर 96, 98, 433, 529, 589 कुल रकबा 83.16 बीघा कृषि भूमि हुई थी जिस पर मगनाराम के तीनों पुत्रों का काबिज 1/3, 1/3 हिस्से पर मलकियत काश्त चला आ रहा था। मगनाराम के जीवनकाल में अपीलांट के पिता नारणाराम व धर्माराम के पिता भोलाराम का देहांत हो गया था। मगनाराम का बाद में देहांत हुआ। मगनाराम के देहांत होने पर खातेदारी नामान्तरकरण अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होना चाहिए थी। लेकिन उत्तरदाता सं. 6 ने तत्कालीन राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके 96 अपीलांट को उसके हक हकूक से वंचित रखते हुए उत्तरदाता संख्या 1 से 5 के वारिस मोहनाराम व उत्तर[illegible] संख्या 05 धर्माराम के नाम [illegible] गया। अतः विवादित नामान्तरकरण [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी S.D.O. बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:37:43 IST
Reason: SelfAttested

02/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नामान्तरण 106 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है, क्योंकि विवादित नामान्तरण पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मंगनाराम के समस्त वारिसान की जांच नहीं की गई और अपीलांट को बिना स्वामित्व दिए एकतरफा नामान्तरण पारित कर दिया गया। जबकि अपीलांट, नाराणाराम की एकमात्र वारिस है और मंगनाराम की पौत्री है विवादित भूमि दुरस्तगी है विलेज नाराणाराम का 1/3 हिस्सा निहित था, लेकिन नाराणाराम का देहान्त अपने पिता मंगनाराम के जीवनकाल में ही हो गया था। विवादित भूमि अपीलांट के नाना इन्द्राज थी के दादा मंगनाराम के नाम इन्द्राज थी और मंगनाराम जीवित होने के कारण नाराणाराम का फौतगी नामान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं था। तत्पश्चात मंगनाराम के फौत होने पर अपीलांट का नाराणाराम वारिस होने के कारण 1/3 हिस्से भूमि में इस हिस्सा निहित होने से अपीलांट का नामान्तरण संख्या 106 में दर्ज नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विवादित अपीलाधीन भूमि में पारित नामान्तरण संख्या 106 निरस्त कर विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज करने का आदेश फरमावें।	

प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:37:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	अदा... की तारीख
	इसने वकील अपीलांट की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रेकर्ड दस्तावेजात व विवादित अपीलाधीन प्रवि ष्टि पारित नामान्तकरण संख्या 106 का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित अपीलाधीन भूमि के खातेदार मगना वल्द रतना कौम मांगी सा. देह के फौत होने पर ओगनिया वल्द मगना व इसा वल्द कोजा के नाम नामान्तकरण संख्या 106 पारित हुआ। जबकि अपीलांट की ओर से अपील में अंकित वंश वृक्षानुसार मगनाराम के तीन पुत्र :- कोजाराम - जिसका वारिस इसाराम, नाथोराम - जिसकी अपीलांट वारिस एवं ओगनराम है। इस प्रकार नाथोराम की वारिस अपीलांट का नाम फौतगी नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया विवादित भूमि में 1/3 हिस्सेनुसार दर्ज करने की हकदार प्रतीत होती है। उत्तरदाता पक्ष बावजूद तामील नोटिस आदलत के बाद अपरांत उपस्थित नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। क्योंकि यदि उपरोक्त उत्तरदाता	

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा — मुहर)

(हस्ताक्षर) 11/7/2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2023.07.16 21:37:43 IS
Reason: SelfAttested

04/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
होता तो आपत्ति पेश करते। लेकिन उत्तरदाता पक्ष द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अपीलांट की ओर से ऐसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत पेश नहीं किए, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो सके कि मालाराम की वह एकमात्र वारिस है जिसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हो। ऐसी सूरत में अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	
लिहाजा अपीलांट की अपील अन्डर [illegible] कुमार कर आंशिक स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जागसा (वर्तमान ग्राम पंचायत खुड़ीवाड़ा) द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 106 आदेश दिनांक 11.7.1968 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाती है कि मृतक भंगाराम के समस्त वारिसान की जांच करके इस विवादित अपीलाधीन भूमि का नए सिरे से नामान्तकरण विधिअनुसार पारित करें।	
आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] बाद दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) 13/7/2023 उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:37:43 IST
Reason: SelfAttested